>

Title: Issue regarding removal of Panchayat Mitras working under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act in Uttar Pradesh.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अति लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : शैलेन्द्र कुमार जी, हम आपके लिए ही आये हैं।

â€¦(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा सर्वविदित है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में तैनात 52 हजार रोजगार सेवक, जिन्हें पंचायत मित्र कहा जाता है, की नियुक्ति उत्तर प्रदेश में वर्ष 2006 में संविदा के आधार पर हुई थी। ये गांव पंचायतों के विकास कार्यों की देख-रेख करते थे और अब भी निरंतर करते चले आये हैं। दिनांक 25.08.2010 को उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश के तहत तीन वर्ष तक कार्य करने वालों को हटाने के आदेश दिये। उन्होंने आदेश दिये कि इनको हटाकर नया चयन किया जाये। ...(व्यवधान)

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): सभापति महोदय, माननीय सदस्य यहां स्टेट मैटर बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उन्हें बोलने दीजिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के अंदर ही स्टेट आता है।

â€¦(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, वर्ष 2006 से ये लोग निरंतर कार्यरत हैं, यानी तीन वर्षों से कार्य कर रहे हैं। जो 52 हजार ग्राम पंचायत, ग्राम सेवक या मित्र हैं, उनकी जीविकोपार्जन के सामने एक संकट उत्पन्न हो गया है। उनकी जीविका नहीं चल पा रही है, जबकि अन्य राज्यों में देखा जाये तो जब से मनरेगा की स्कीम शुरू हुई है, चाहे वह राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, वहां आज भी पंचायत मित्र, ग्राम सेवक निरंतर काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से कहना चाहूंगा कि वह इसमें पहल करे। हमारे तमाम पंचायत मित्र उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम विकास मंत्री जी से भी मिले थे। उन्होंने मौखिक आश्वासन भी दिया था। समाचार-पत्रों में भी आया था कि हम इन लोगों को रखेंगे, इन्हें हटायेंगे नहीं।

मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इसे गंभीरता से ले, चूंकि यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, मनरेगा से संबंधित सवाल है। केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करे कि 52 हजार पंचायत मित्रों को निरंतर सेवा करने दी जाये, ताकि उनकी जीविकोपार्जन चल सके, उनका परिवार चल सके।

इन्हीं बातों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

सभापति महोदय: आप सब मेरी एक रूलिंग सुन लीजिए कि जितने भी माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, वे अपना भाषण देकर चले न जायें। यह मेरा नियमन है कि वे तब तक बैठे रहें, जब तक अंतिम वक्ता नहीं बोलता।